

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

इस्तगासा संख्या:—60/2020

स्टेट जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

—स्टेट

बनाम

श्यामलाल पुत्र वेदप्रकाश जाति धानक उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं. 14 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायल



इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थित:—1. अभियोजन अधिकारी स्टेट की ओर से।

2. श्री अलंकार सिंह अधिवक्ता गैरसायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—12.03.2022

यह इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैरसायल श्यामलाल पुत्र वेदप्रकाश जाति धानक उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं. 14 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है जो सट्टा की खाईवाली करने का आदि है एवं जवान उम्र का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सट्टा समाज में बहुत बड़ी बुराई है। गैरसायल को पर्ची का अवैध धन्धा करने से मना करने पर ये झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत करने से लोग डरते हैं। गैरसायल की आम शोहरत खराब है। पुलिस थाना, पीलीबंगा के रिकार्ड के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें अधिकतर अभियोगों में सजायाब है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

| क्र. सं. | मु. नं.        | धारा       | नतीजा पुलिस | नतीजा अदालत |
|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 1        | 34/12.01.2016  | 13 आरपीजीओ | चालान       | 23.01.2016  |
| 2        | 37/13.15.2016  | 13 आरपीजीओ | चालान       | 04.02.2016  |
| 3        | 62/03.02.2016  | 13 आरपीजीओ | चालान       | 20.04.2016  |
| 4        | 504/25.09.2016 | 13 आरपीजीओ | चालान       | 06.10.2016  |
| 5        | 534/08.10.2016 | 13 आरपीजीओ | चालान       | 16.11.2016  |
| 6        | 20/2017        | 13 आरपीजीओ | चालान       | 24.01.2017  |
| 7        | 150/2017       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 07.04.2017  |
| 8        | 265/2017       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 17.06.2017  |
| 9        | 267/2017       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 14.06.2017  |
| 10       | 355/2017       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 04.08.2017  |
| 11       | 406/2017       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 23.08.2017  |
| 12       | 69/2018        | 13 आरपीजीओ | चालान       | 16.03.2018  |
| 13       | 80/2018        | 13 आरपीजीओ | चालान       | 22.03.2018  |
| 14       | 178/2018       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 24.05.2018  |
| 15       | 260/2018       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 11.06.2018  |
| 16       | 314/2019       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 12.09.2019  |
| 17       | 298/2019       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 03.09.2019  |
| 18       | 489/2019       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 26.11.2019  |
| 19       | 544/2019       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 15.11.2019  |
| 20       | 630/2019       | 13 आरपीजीओ | चालान       | 17.01.2019  |

गैरसायल की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। अतः गैरसायल के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही करते हुए उचित समय के लिए जिला से निष्कासित करने का आदेश फरमावे।

गैरसायल श्यामलाल पुत्र वेदप्रकाश जाति धानक उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं. 14 मण्डी पीलीबंगा, पुलिस थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल जरिये वकील उपस्थित होकर दिनांक 26.08.2021 को जवाब पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी द्वारा इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल आपराधिक गतिविधियां करने का अभ्यस्त अपराधी है। गैरसायल की गतिविधियों से आमजन आशंकित रहता है। अतः गैरसायल को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला बंदर किया जावे।


गैरसायल के वकील ने जवाब इस्तगासा के तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया है वे सभी राज. पब्लिक गैबलिंग ऑर्डिनंस के अन्तर्गत हैं। प्रार्थी गरीब परिवार से सम्बन्ध रखता है। प्रार्थी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार में बुढ़े मां-बाप का भरण-पोषण करता है। प्रार्थी अपना अधिवक्ता नियुक्त कर मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ है। पिछले डेढ़ वर्ष से प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं पेश की गया है जिससे ऐसा जाहिर हो कि गैरसायल अभी भी इन अपराधिक कृत्यों में रत है तथा उसकी गतिविधियों या उसके कृत्य से जिले के किसी भी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। गैरसायल द्वारा हल्फनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी मेहनत-मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा है। प्रार्थी खिलाफ पूर्व में जो मुकदमें लम्बित थे, उनका निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में किसी प्रकार का कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक कृत्य नहीं करूंगा व ना ही आपराधिक गतिविधियों में भाग लूंगा इसके लिये अपने आप को पाबंद करता हूं। अतः गैरसायल की ओर नरमी का रुख अपनाते हुए इसके विरुद्ध संस्थित कार्यवाही को ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि गैरसायल को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2ख(V) में वर्णित अपराध कारित किये हैं जिनमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सायल को 100-100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है किन्तु उक्त अपराध वर्ष 2016 से 2019 में दर्ज किये गये हैं इसके पश्चात् सायल पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि गैर सायल अभी भी इन आपराधिक कृत्य में रत है तथा उसकी गतिविधियों या कृत्य से जिले में किसी व्यक्ति/सम्पत्ति को नुकसान या खतरा होने की संभावना है। यही नहीं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 में वर्णित आवश्यक आधार नहीं है जिसके आधार पर उसे जिले या उसके किसी भाग हेतु बाहर करने का आदेश दिया जावे। इस बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा ने कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। वकील गैरसायल ने बहस में निवेदन किया कि गैरसायल श्यामलाल पुत्र वेदप्रकाश ने आज तक शांति बनाए रखी है। अब किसी प्रकार का अवैध धन्धा नहीं करता है। गैरसायल वर्तमान में कोई गलत काम नहीं कर अपने परिवार के साथ अच्छी तरह अपना जीवन-यापन कर रहा है। अपने क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तथा किसी प्रकार की गुण्डागर्दी नहीं करता है।

उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में गैरसायल को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने व कस्बा में सामाजिक शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा द्वारा गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत यह इस्तगासा ड्रॉप(Drop) किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।





(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़